डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः सम्ब0/3296/2023 दिनांकः–18.04.2023

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध बी0एड0 महाविद्यालय,
डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

महोदय/महोदया,

मा0 कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त बी0एड0 अस्थायी पाठ्यक्रम संचालित महाविद्यालयों को संलग्न पत्र संख्या सम्ब0/2697/2023 दिनांक 31.01.2023 प्रेषित कर उल्लिखित समय–सारिणी के अनुसार स्थायी/अग्रेत्तर सम्बद्धता हेतु निर्धारित फीस **(निरीक्षण मण्डल गठन फीस रू0 10,000/– एवं सम्बद्धता फीस रू0 25,000/–)** जमा कर निरीक्षण मण्डल की मांग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु अद्यतन बी0एड0 अस्थायी पाठ्यक्रम संचालित लगभग महाविद्यालयों द्वारा निरीक्षण मण्डल गठन हेतु आवेदन नही किया गया है जो कि बहुत ही खेद जनक है एवं विश्वविद्यालय के आदेशों की अवहेलना है। इससे प्रतीत होता है कि महाविद्यालय पाठ्यक्रम संचालन में रूचि नही ले रहा है। **ऐसे समस्त महाविद्यालयों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29.04.2023 तक प्रत्येक दशा में निरीक्षण मण्डल गठन हेतु नियमानुसार पत्रावली विश्वविद्यालय में उपलब्ध करा देंगे। अन्यथा की स्थिति महाविद्यालय को सत्र 2023–24 की सम्बद्धता प्राप्त न होने की दशा में बी0एड0 काउन्सिलिंग सत्र 2023–24 में महाविद्यालय का नाम व सीट संख्या प्रेषित नही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धन का होगा।**

साथ ही ऐसे समस्त **स्थायी/अस्थायी महाविद्यालय जिनमें विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/शिक्षक अनुमोदित नही है या एन0सी0टी0ई0 रेगूलेशन–2014 के अनुसार कम शिक्षक अनुमोदित हैं अथवा उनका समयावधि पूर्ण हो चुकी है, वह शिक्षक अनुमोदन/नवीनीकरण सम्बन्धी नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु पत्रावली तीन कार्य–दिवसों में उपलब्ध करा दें।** अन्यथा किसी भी स्थिति हेतु महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षक–कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त पटल प्रभारी, सम्बद्धन को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निरीक्षण गठन हेतु प्राप्त पत्रावली का परीक्षण कर आख्या सहित मूल पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रभारी बेव–साइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय बेवसाइट एवं महविद्यालयों की लोगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

Affisvlett